दां०प्र०क्र० 997/2022 **शासन वि० टोमन सिंह**

Witness No.---01---**for** ---**अभियोजन साक्षी ...Deposition taken the**... 19/07/2024**..day of** ----शुक्रवार----

Witness apparent age- 40 वर्ष --**States on affirmaton.** शपथपत्र

My name is– नरेन्द्र कुमार तारक **s/of** – पीताम्बर तारक

occupion ------कृषक----

Address. ,ग्राम–बंगोली, थाना–कुरुद, जिला–धमतरी छ०ग०।

राज्य द्वारा श्री विकास टण्डन एडीपीओ।

01. मैं न्यायालय में उपस्थित आरोपी को पहचानता हूं, इसलिए पहचानता हूं कि वह मेरे गांव का है । मैं अनपढ़ हुं, मैं दारु का सेवन नहीं करता हूं । मेरे सामने किसी प्रकार की कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई है । धारा 160 की नोटिस प्र०पी० 01, पुलिस पार्टी की तलाशी प्र०पी० 02, व्यक्ति, मकान, सामान की तलाशी पंचनामा प्र०पी० 03, तलाशी वारंट प्राप्त न होने बाबत् पंचनामा प्र०पी० 04, जप्ती पत्रक प्र०पी० 05, शीलबंद पंचनामा प्र०पी० 06, गिरफ्तारी पत्रक प्र०पी० 07 के अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं ।

टीपः– इसी स्तर पर अभियोजन अधिकारी श्री विकास टण्डन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर उससे ऐसे प्रश्न पूछे जाने की अनुमति चाही गई, जो कि प्रतिपक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाते है। प्रकरण के अवलोकन पश्चात् अभियोजन अधिकारी को प्रश्न पूछे जाने की अनुमति प्रदान किया गया।

02. यह कहना गलत है कि पुलिस कथन प्र०पी० 08 के अ से अ भाग दिनांक 09.09.2022 को मैं............................गिरफ्तारी पत्रक एवं अन्य में मेरा हस्ताक्षर है ऐसा कथन मैंने पुलिस को दिया है । यह कहना गलत है कि आरोपी से मेरे सामने एक सफेद बोरी में 09 पाव देशी प्लेन शराब एवं 2 पौवा देशी मशाला और 500 रुपये का नगदी बिक्री रकम को जप्त किया था । यह कहना सही है कि मैंने दस्तावेज में हस्ताक्षर अपने स्वेच्छा से किया है । यह कहना गलत है कि इससे पहले मैं कई प्रकरणों में गवाही देने आ चुका हूं एवं आरोपी से मिलकर ऐसी ही गवाही देता हूं एवं आरोपी को बचाता हूं ।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा अधिवक्ता श्री गुणवंत सोलंके वास्ते अभियुक्त :–</u>

03. यह कहना सही है कि जप्ती पत्रक एवं अन्य दस्तावेज में हस्ताक्षर करने से पहले पुलिस द्वारा मुझे पढ़कर नहीं सुनाया गया था । यह कहना सही है कि पुलिस वाले के कहने पर सभी दस्तावेजों में हस्ताक्षर किया था ।

गवाह के हस्ताक्षर ....

वाचित/स्वीकृत।

सही/–

(श्रीमती तनु श्री गवेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुरूद,
जिला धमतरी (छ0ग0)

मेरे निर्देशन पर टंकित।

सही/–

(श्रीमती तनु श्री गवेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुरूद
जिला धमतरी (छ0ग0)